न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 190/2022 दायर दिनाँक 27.05.2022

वादी

1. धन्नाराम पुत्र हनुमानाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी कलवानी तहसील डीडवाना
2. डालाराम पुत्र मुलाराम उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी चांदबासनी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

सत्यमेव जयते

उपस्थितः—

1. श्री सुनिल कुमार मिश्रा वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 23.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा चान्दबासनी पटवार हल्का कलवानी, भू—अभिलेख नि0 डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि जिसके खसरा सं0 105 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा बारानी अलीफ ग्राम चान्द बासनी, पटवार हल्का कलवानी भू—अभिलेख नि0 डीडवाना में अवस्थित है। जिसके पुराना खासरा सं0 35 जिसके वर्तमान खसरा सं0 105 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा महकमा स्टोडियन (राज्य सरकार) में चला गया तथा उकसे बाद उक्त खसरा सं0 की भूमि राजस्थान सरकार के राजस्व रेकर्ड में अंकित हो गयी। नकल जमाबन्दी व खसरा मिलान पेश है।

यह है कि राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही उपरोक्त वर्णित भूमि में से खसरा सं0 105 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा बारानी अलीफ पर वास्तविक एवं भौतिक क्बा काश्त वादीगण के पिता हनुमान राम व मूलराम के कब्जा काश्त की रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात अब उक्त खसरा सं0 105 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 5 बीघा भूमि पर वादी सं0 01 धन्नाराम का 02 बीघा 10 बिस्वा व वादी सं0 02 डालाराम का 02 बीघा 10 बिस्वा पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त रहा है। उसके बाद उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त अपने अपने 1/2 हिस्से पर निर्बाध रूप से बेरोक—टोक चला आ रहा है।

यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रभाव सम्वत 2012 में हुआ। उक्त सुसंगत समय से पूर्व भी उक्त भूमि पर वादीगण से पूर्व इनके पिता हनुमानराम व मूलाराम के कब्जा काश्त की ही रही है। राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार भी उक्त कब्जा काश्त वादीगण का है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :—

यह है कि मौजा चान्दबासनी पटवार हल्का कलवानी, भू—अभिलेख नि0 डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि खरसा सं0 105 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा बारानी अलीफ में से 05 बीघा भूमि ग्राम चान्दबासनी, पटवार हल्का कलवानी भू—अभिलेख नि0 डीडवाना में अवस्थित है। खसरा सं0 105 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा बारानी अलीफ जो

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण की कब्जा सुदा व वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए बी सी डी कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है, उक्त खसरा सं0 105 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा बारानी अलीफ की भूमि में से 05 बीघा भूमि की राजस्व रेकर्ड में खातेदारी वादीगण के पक्ष में 1/2–1/2 डिक्री जारी करने की कृपा करावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड व नजरी नक्शा में अमल दारामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम चान्दबासनी, पटवार हल्का कलवानी भू–अभिलेख नि0 डीडवाना में अवस्थित भूमि खसरा सं0 105 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि में वादीगण को 1/2–1/2 नजरी नक्शा मार्क ए बी सी डी के अनुसार राजस्व रेकर्ड में खातेदार घोषित किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 23.06.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 190/2022 दायर दिनाँक 27.05.2022

वादी

1. धन्नाराम पुत्र हनुमानाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी कलवानी तह0 डीडवाना
2. डालाराम पुत्र मुलाराम उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी चांदबासनी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 23.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री सुनिल कुमार मिश्रा वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम चान्दबासनी, पटवार हल्का कलवानी भू–अभिलेख नि0 डीडवाना में अवस्थित भूमि खसरा सं0 105 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि में वादीगण को 1/2–1/2 नजरी नक्शा मार्क ए बी सी डी के अनुसार राजस्व रेकर्ड में खातेदार घोषित किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

नीज.........–.......... मुबलिंग..........–.............. बाबत......................–....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसाब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फ[illegible] चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज [illegible] चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner